झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2011-12

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अनुपालन में झारखण्ड लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड को प्रस्तुत करता है ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

प्रतिवेदन

प्रस्तावना एवं कृतज्ञता

झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2011--12 का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल, झारखंड को प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2)में वर्णित यह आयोग का एक कर्त्तव्य है। प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि में आयोग के विभिन्न कृत्यों का सारांश ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयास किया गया है।

अपने कार्यो में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए एवं आम जनता के बीच सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग का वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** अद्यतन किया गया है। आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न--पत्रों की उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुए निश्चित समयावधि के भीतर अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करने की परम्परा को प्रारंभ किया गया। प्राप्त आपत्तियों के सम्यक् निस्तारण के उपरान्त ही परीक्षाफल घोषित किया जाता है।

वर्त्तमान में आयोग की अवसंरचना में कमी है। आयोग सरकार से इस कमी के यथाशीघ्र निवारण का अनुरोध करता है।

आयोग यह अवगत कराना चाहता है कि मानवीय, तकनीकि एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद आयोग ने अपने दायित्वों का निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता से निर्वहन करते हुए निष्ठा के सभी मानकों को कायम रखने का ईमानदार प्रयास किया है।

आयोग झारखंड शासन तथा सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के शिक्षकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यो को सम्पन्न करना संभव नहीं हो पाता।

आयोग अपने अधिकारियों/कर्मचारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की भी हार्दिक सराहना करता है, जिन्होने कठोर परिश्रम एवं निष्ठा तथा दक्षतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है।

अध्यक्ष

सदस्य

विषय सूची

क्र०	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं0
1.	अध्याय–01	आयोग का संगठन	1
2.	अध्याय–02	आयोग का सचिवालय एवं सेवा शर्तें	2
3.	अध्याय–03	आयोग का संक्षिप्त इतिहास	3
4.	अध्याय–04	आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया	4–5
5.	अध्याय–05	आयोग के कार्य	6.7
6.	अध्याय–06	परीक्षा द्वारा भर्ती– (क) राजपत्रित (ख) अराजपत्रित	8–12
7.	अध्याय–07	साक्षात्कार द्वारा भर्ती	13
8.	अध्याय–08	प्रोन्नति संबंधी मामलें	14
9.	अध्याय–09	विश्वविद्यालय संबंधी नियुक्तियाँ	15
10.	अध्याय–10	अनुशासनिक मामले	16–17
11.	अध्याय–11	सूचना अधिकार संबंधित मामले	18
12.	अध्याय–12	मा० अध्यक्ष/सदस्यों एवं पदा० के द्वारा किये गये भ्रमण	19
13.	अध्याय–13	वित्तीय विवरण	20
14.	अध्याय–14	आयोग संबंधी न्यायिक मामलें	21
15.	अध्याय–15	आयोग के समक्ष कठिनाईयाँ एवं विकास के आयाम	22
16.	अध्याय–16	विविध/उपलब्धियाँ	23

परिशिष्ट– I

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त जीवन वृत्त

परिशिष्ट– II

वर्ष 2011–12 तक आयोग सचिवालय में कार्यरत कर्मियो की स्थिति

अध्याय–1

आयोग का संगठन

प्रतिवेदनाधीन अवधि (2011–12) में आयोग की संरचना

क्र०	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री शिव बसंत	अध्यक्ष	01.07.2011 से अद्यतन कार्यरत
2.	डॉ० एम० परवेज हसन	सदस्य	25.02.2009 से अद्यतन कार्यरत
3.	डॉ० ज्योति लाल उरांव	सदस्य	09.09.2010 से अद्यतन कार्यरत

नोटः– मा० अध्यक्ष तथा मा० सदस्यों के जीवन वृत्त का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है

अध्याय–2

आयोग का सचिवालय एवं सेवा शर्त्ते

झारखंड लोक सेवा आयोग में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वह सभी सेवा शर्त्ते लागू होती है, जो झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा लागू की गयी है।

नोटः— झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिवालय के अद्यतन कार्यबल को परिशिष्ट–II में दर्शाया गया है।

अध्याय–3

आयोग का संक्षिप्त इतिहास

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना सं०–118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा किया गया।

सरकार द्वारा 25 जनवरी 2002 को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ० फटिक चन्द्र हेम्ब्रम ने 05 फरवरी 2002 को कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के गठन से अद्यतन माननीय अध्यक्ष का कार्यकाल निम्नवत् रहा :–

क्र० सं0	मननीय अध्यक्ष का नाम	पदभार ग्रहण होने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ0 फटिक चन्द्र हेम्ब्रम	05.02.2002	14.01.2004
2.	डॉ० दिलीप कुमार प्रसाद (कार्यकारी)	22.01.2004	22.09.2004
3.	डॉ० दिलीप कुमार प्रसाद	23.09.2004	13.04.2010
4.	श्री आलोक कुमार सेनगुप्ता (कार्यकारी)	14.04.2010	06.01.2011
5.	श्री रमेश चन्द्र कैथल (कार्यकारी)	07.01.2011	24.01.2011
6.	डॉ० मो० परवेज हसन (कार्यकारी)	25.01.2011	30.06.2011

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना 2845 दिनांक 28.5.2011 के आलोक में दिनांक 01.07.2011 से अध्यक्ष के पद पर **श्री शिव बसंत** कार्य सम्पादन कर रहे है।

अध्याय–4

आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया

झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवम्बर 2000 ई० के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अन्तर्गत तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन की स्वीकृति दिनांक–16–01–2001 को प्रदान की गयी। आयोग दिनांक 25.01.2002 को अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी एवं राँची में आयोग के मुख्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्य :–

320 (1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें।

320 (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग से –

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में ताकि एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत ऐसे विषयों से अभ्यावेदन या याचिकाएँ है।

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके सम्बन्ध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी देशी सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित कार्यो के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए।

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किये जाने के लिए

किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जायेगा और इस प्रकार उसे निदेशित करें, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्त्तव्य होगा, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्य–कलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदो के संबंध में राज्यपाल उन विषयों का विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलें में या किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

320 (4) खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद–16 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद–335 के उपबन्धो को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाय।

320 (5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये सभी विनियमन बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जायेगें, और निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे उपान्तरणों के अधीन होगें जो संसद के दोनो सदन या उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनो सदन उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है।

अध्याय–5

आयोग के कार्य

आयोग एक स्वतंत्र, स्वशासी एवं संवैधानिक संस्था है। फलस्वरूप, अपने कार्यो एवं दायित्वों के संचालन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सक्षम हैं। अतएव, आयोग ने सन् 2002 में कार्यों के संचालन तथा जवाबदेही के सम्पादन हेतु रूल्स ऑफ प्रोसिडियोर बनाया है जिसमे वर्ष 2011–12 में आवश्यक सुधार कर विभिन्न वैकल्पिक विषयों वाली परीक्षाओं में स्केलिंग पद्धति एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के आऊटसोर्सिंक का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा संचालन

आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन मुख्यतः दो स्तरो पर किया जाता है :–

(1) रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक होने पर प्रारम्भिक परीक्षा एवं

(2) प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा।

प्रारम्भिक परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों/विद्यालयों में संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से आयोजित की जाती है एवं इस परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए सामान्यतया, राँची शहर अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों/विद्यालयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

प्रारम्भिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन **ओ०एम०आर०** विधि से कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। Answer Key Website पर पदर्शित कर उम्मीदवारों या अन्य विशेषज्ञों का मन्तव्य लिया जाता है। लिखित परीक्षा (मुख्य) के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चयनित परीक्षकों द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से पूर्व Model Answer हेड मॉडरेटर के पर्यवेक्षण में बनाकर परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है।

परीक्षाफल प्रकाशन

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों के कुल लब्धांक के आधार पर परीक्षाफल, आयोग के परीक्षा नियंत्रक की देख–रेख में तैयार किया जाता है, जिसे आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित किया जाता है। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का Cut off Marks आयोग की website पर प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सम्पन्न होने पर उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर आयोग में आकर उनके उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की भी सुविधा दी जाती है।

साक्षात्कार की पद्धति

साक्षात्कार में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाती है। प्रत्येक साक्षात्कार पर्षद में आयोग के एक सदस्य के अतिरिक्त कम से कम दो विशेषज्ञ होते हैं। उम्मीदवारो को अंक या उनके बारे में अनुशंसा सर्वसम्मति (कन्सेन्सस) के आधार पर दिया जाता है।

आयोग का अन्य कार्य

1. राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श
2. अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श
3. विभागीय प्रोन्नति समिति का आयोजन
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न पदों की नियुक्ति/ प्रोन्नति।

अध्याय–6

परीक्षा द्वारा भर्ती

झारखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों के अनुरोध पर विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों में नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन करता है। आलोच्य अवधि में पूर्व से प्राप्त एवं नवसृजित नियुक्तियाँ निम्न तालिका में दी गयी है। जिनमें कुछ नियुक्तियाँ पूर्ण कर ली गयी है, कुछ लंबित है। लंबित नियुक्तियों के शीघ्र निपटारे हेतु अग्रेतर कारवाई शीघ्रता से पूरी की जा रही है। वर्ष 2011–12 की अवधि में आयोग की परीक्षा शाखा द्वारा निम्नोक्त परीक्षाओं के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है एवं कुछ प्रक्रियागत है।

चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2011

23 मार्च 2011 को चतुर्थ असैनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की गयी। जिसमें 1,03,157 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 62,949 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। मुख्य परीक्षा हेतु 3,514 परीक्षार्थी चयनित किए गए तथा मुख्य परीक्षा सम्पन्न की जा चुकी है। चतुर्थ असैनिक सेवा परीक्षा से संबंधित निम्नवत् है:–

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0री0	एस0टी0	कुल
झारखंड प्रशासनिक सेवा	31	19	14	08	34	106
झारखंड पुलिस सेवा	30	10	00	05	19	64
झारखंड सूचना सेवा	09	02	01	02	06	20
झारखंड निबंधन सेवा	02	00	00	00	03	05
झारखंड सहकारिता सेवा	13	03	00	01	07	24
कुल पद	**85**	**34**	**15**	**16**	**69**	**219**

प्राप्त आवेदन

अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
56141	5793	13575	7713	19935	103157

प्रारम्भिक परीक्षाफल

अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
1366	545	242	256	1105	3514

झारखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक कैडर) नियुक्ति परीक्षा 2011

उपरोक्त परीक्षा में अंतर्वीक्षा हेतु कुल 815 उम्मीदवार चयनित हुए, जिनमें कुल 693 उम्मीदवारों ने अंतर्वीक्षा में भाग लिया। उक्त परीक्षा की विवरणी निम्नवत् है :–

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
झारखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड)	109	17	13	22	57	218
झारखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड)	138	22	17	27	71	275
कुल पद	247	39	30	49	128	493

प्राप्त आवेदन

अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
1118	115	160	115	235	1743

परीक्षाफल

अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
247	11	23	20	121	422

सहायक / निजी सहायक परीक्षा 2011

झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय हेतु 10 सहायक एवं 16 निजी सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। उक्त परीक्षा की विवरणी निम्नवत् है :–

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
सहायक	5	01	00	01	03	10
निजी सहायक	8	01	01	02	04	16

प्राप्त आवेदन

पद का नाम	अनारक्षित	ओ0बी0सी0	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
सहायक	10009	2115	404	413	868	2559	16372
निजी सहायक	1008	170	32	35	110	401	1756
दोनों पदों के लिए आवेदन	25	00	02	09	04	09	49
बिना पदनाम अंकित प्राप्त आवेदन	00	00	00	00	00	01	01
विकलांग अभ्यर्थी	00	00	00	00	00	00	04
कुल आवेदन	11042	2285	438	457	982	2970	18178

परीक्षाफल

पद का नाम	अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0–II	एस0सी0	एस0टी0	कुल
सहायक	05	01	00	01	03	10
निजी सहायक	01	00	00	00	00	01

मेधा सूची से निजी सहायकों के 16 पदों के विरूद्ध शार्टहैन्ड / टाईपिंग के टेस्ट के बाद मात्र 01 अभ्यर्थी का चयन हुआ। Shortlisted उम्मीदवारों को शार्टहैण्ड / टाईपिंग टेस्ट में बैठने का एक अवसर और प्रदान किया जाएगा।

सहायक अभियंता परीक्षा 2012

विज्ञापन संख्या 26/2012 के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त रोस्टरवार अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने वाले पदों की संख्या निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

विभाग	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व–1	पि०व–2	कुल पदों की सं०
पथ निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	31	00	31	00	00	**62**
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	17	01	03	00	00	**21**
	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	02	01	00	00	00	**03**
उर्जा विभाग	कनीय अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल)	02	00	03	01	00	**06**
जल संसाधन विभाग	सहायक अभियन्ता (असैनिक)	00	02	62	03	00	**67**
	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	00	06	16	04	00	**26**
कुल पद		**52**	**10**	**115**	**08**	**00**	**185**

सहायक अभियंता परीक्षा से संबंधित रिक्तियों की संख्या एवं पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या संकायवार निम्नवत् है :-

प्राप्त आवेदन

	सहायक अभियंता (असैनिक)	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	सहायक अभियंता (विद्युत)	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स)	सहायक अभियंता (प्रोडक्सन)	बिना ट्रेड के प्राप्त आवेदन	कुल
कुल प्राप्त आवेदन	2109	702	236	1	1	33	3082

इस परीक्षा की तैयारी कर ली गई है तथा सितम्बर, 2012 तक इसका निष्पादन कर दिया जाएगा।

संयुक्त कनीय अभियंता परीक्षा 2012

विज्ञापन संख्या 27/2012 के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त कनीय अभियंता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ऊर्जा विभाग से रोस्टरवार प्राप्त अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने वाले पदों की संख्या निम्नवत् है :–

रिक्तियाँ

विभाग	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व–1	पि०व–2	कुल पदों की संख्या
जल संसाधन विभाग	कनीय अभियन्ता (असैनिक)	00	137	389	88	00	614
	कनीय अभियन्ता (यांत्रिक)	44	15	37	09	00	105
पथ निर्माण विभाग	कनीय अभियन्ता (असैनिक)	193	35	92	27	20	367
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	कनीय अभियन्ता (असैनिक)	25	00	01	04	01	31
	कनीय अभियन्ता (यांत्रिक)	11	02	04	00	00	17
उर्जा विभाग	कनीय अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल)	12	02	02	02	01	19
कुल पद		**285**	**191**	**525**	**130**	**22**	**1153**

प्राप्त आवेदन

अनारक्षित	बी0सी0–I	बी0सी0– II	एस0सी0	एस0टी0	कुल आवेदन
6985	658	435	570	1477	10125

उपरोक्त पदो के विरूद्ध कुल 10,125 आवेदन प्राप्त है। लिखित परीक्षा ली जा चुकी है तथा सितम्बर, 2012 तक चयनित उम्मीदवारो की अनुशंसा कर दी जाएगी।

औषधि निरीक्षक (Drug Inspector)

उपरोक्त अवधि में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक (Drug Inspector) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–20/2010 प्रकाशित की गई है जिसमें रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है :–

अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग– II	कुल
27	07	18	06	01	59

- **वर्ष 2011–12 की अवधि में सहायक लोक अभियोजक एवं भूतत्ववेत्ता की परीक्षा संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।**

अध्याय—7

साक्षात्कार से भर्ती

वर्ष 2011–12 की अवधि में निम्नलिखित नियुक्तियाँ साक्षात्कार के माध्यम से हुई।

निदेशक, गव्य विकास, झारखंड

निदेशक, गव्य विकास, झारखंड के एकल पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें कुल 04 आवेदकों को अर्हत्ता के आधार पर साक्षात्कार में बुलाया गया और अन्तिम रूप से 01 उम्मीदवार का चयन कर इसकी अनुशंसा प्रेषित की गयी।

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी/व्याख्याता

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी/व्याख्याता के कुल 14 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा जुलाई 2011 में आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसके विरूद्ध कुल 305 आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदन पत्रों की स्क्रुटिनी कर साक्षात्कार हेतु अग्रेतर कारवाई की जा रही है।

निदेशक, पशुपालन

उपरोक्त अवधि में निदेशक, पशुपालन विभाग हेतु कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमे से 06 उम्मीदवार का साक्षात्कार हुआ एवं अन्तिम से 01 उम्मीदवार का चयन कर इसकी अनुशंसा प्रेषित की गई।

बी0आई0टी0 सिन्दरी के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति

बी० आई० टी० सिन्दरी में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के कुल 63 पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2007 में प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध कुल 195 आवेदकों द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में उन्हें साक्षात्कार में आमंत्रित किया गया। अन्तिम रूप से कुल 29 उम्मीदवारों का चयन कर इसकी अनुशंसा प्रेषित की गयी है।

	व्याख्याता	सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक	कुल
प्राप्त आवेदन	43	114	38	195
अनुंशसा	04	16	09	29

निदेशक, उच्च शिक्षा

उपरोक्त अवधि में निदेशक, उच्च शिक्षा का एकल पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 14/2011 प्रकाशित किया गया। कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए। साक्षात्कार के लिए कुल 08 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया जिसमें 07 उम्मीदवार साक्षात्कार में सम्मिलित हुए। अंतिम रूप से 01 उम्मीदवार का चयन कर इसकी अनुशंसा प्रेषित की गई।

अध्याय–8

प्रोन्नति संबंधी मामलें

झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्य परिसीमन नियमावली 2000 के अनुसार विर्निदष्ट प्रोन्नति के मामलों से संबंधित आलोच्य अवधि 2011–12 में निम्नांकित विभागों के लिए अधियाचित प्रोन्नति के प्रस्ताव आयोग के स्तर पर विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित किए गए:–

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रोन्नति के लिए अधियाचित पद	अनुशंसित प्रोन्नति की संख्या
1	गृह विभाग	उपाधीक्षक	01
2	कार्मिक विभाग	अवर सचिव (सचिवालय सेवा)	237
3	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	मुख्य अभियंता	4
4	वही	अधीक्षण अभियंता	14
5	वही	सहायक अभियंता	30
6	उर्जा विभाग	सहायक अभियंता	02
7	वन एवं पर्यावरण विभाग	सहायक वन संरक्षण	19

अध्याय–9

विश्वविद्यालय संबंधी नियुक्तियाँ

वर्ष 2011–2012 की अवधि में विश्वविद्यालयों में साक्षात्कार से अग्रांकित नियुक्तियाँ संबंधी अनुशंसाए की गयी।

पद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन	योग्य आवेदन	अनुशंसा
वित्त पदाधिकारी	राँची विश्वविद्यालय,राँची	09	05	01
वित्त पदाधिकारी	सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	07	03	01
कुल सचिव	सिदो–कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका	14	08	01
कुल सचिव	कोल्हान विश्वविद्यालय,चाईबासा	15	10	01
उप कुल सचिव	निलाम्बर–पिताम्बर वि०वि०,मेदनीनगर,पलामू	23	10	01
प्रोफेसर	निलाम्बर–पिताम्बर वि०वि०,मेदनीनगर,पलामू	82	21	04
प्रोफेसर	सिदो–कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका	113	31	04
वित्त पदाधिकारी	कोल्हान विश्वविद्यालय,चाईबासा	09	06	01
प्रोफेसर	कोल्हान विश्वविद्यालय,चाईबासा+ निलाम्बर–पिताम्बर वि०वि०,मेदनीनगर,पलामूँ+ सिदो–कान्हु विश्वविद्यालय, दुमका	140	–	मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देश के आलोक में कारवाई लंबित।
व्याख्याता	राँची विश्वविद्यालय,राँची (अल्पसंख्यक महाविद्यालय)	13	13	13

वर्ष 2011–2012 की अवधि में विश्वविद्यालयों में प्रोन्नति से निम्नलिखित अनुशंसाए की गई है।

पद	प्रोन्नति	असहमति
व्याख्याता से व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	105	13
वरीय वेतनमान से प्रवर कोटि	05	02
वरीय वेतनमान से उपाचार्य	17	12
उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य	08	04
प्रयोग प्रदर्शक से व्याख्याता	08	00
कुल	143	31

अध्याय–10

अनुशासनिक मामलें

वर्ष 2011–2012 की अवधि में 19 अनुशासनिक मामले आयोग को समर्पित किए गए। जिनमें सभी मामलें का निपटारा किया गया :–

क्र0	विभाग का नाम	प्रस्ताव	आयोग का निर्णय
1.	जल संसाधन विभाग	तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल,गया की सेवा बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर सहमति	आयोग द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति दी गयी कि कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची में मद सं0–28 का तथा औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया हो।
2.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	तत्कालीन प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, सोनाहातु रांची की सेवा बर्खास्ती हेतु प्रस्ताव।	सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
3	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बोआरीजोर,गोड्डा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, गारू लातेहार के लंबी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय प्रस्ताव पर आयोग की सहमति।	सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी
4.	वन एवं पर्यावरण विभाग	तत्कालीन वन क्षेत्र पदा0, जराईकेला विपणन प्रक्षेत्र, राजकीय व्यापार प्रमण्डल सारण्डा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पर सहमति प्रस्ताव।	सभी आरोपो की जांच प्रतिवेदन पर दण्ड का निर्धारण एवं सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।
5.	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	तत्कालीन अपर मुख्य चि0 पदा0–सह–अधीक्षक, सदर अस्पताल गिरिडीह सम्प्रति जिला मलेरिया पदा0 हजारीबाग की अनिवार्य सेवा–निवृति हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर प्रस्ताव पुनः आयोग को भेजने हेतु निदेश दिया गया।
6.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	तत्कालीन भ्रमणशील चि0 पदा0, (चलन्त),ए0एच0डी0 गुमला सम्प्रति निलंबित,भ्रमणशील पशु चि0 पदा0, सेन्हा, लोहरदगा की सेवा बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव।	सेवा बर्खास्तगी संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
7.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	तत्कालीन भ्रमणशील पशु चि0 पदा0 कुडू, लोहरदगा, वृहत् भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र चतरा के विरूद्ध विभागीय आरोप पर आयोग की सहमति पर प्रस्ताव।	सेवा निवृति के पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किये जाने एवं निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।
8.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	तत्कालीन भ्रमणशील पशु चि0 पदा0 (चलन्त) चाईबासा/प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची की सेवा बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर आयोग की सहमति का प्रस्ताव।	सेवा बर्खास्तगी संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
9.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	तत्कालीन जिला गव्य विकास पदा०, साहेबगंज के विरूद्ध विभागीय आरोप पर आयोग की सहमति।	पेंशन से कटौती के विभागीय प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
10.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	निदेशक, आयुष, रांची, सम्प्रति निलंबित की सेवा बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव।	विभाग के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि प्रस्ताव में नियम तथा प्रक्रिया से संबंधित सभी विधि–सम्मत औपचारिकता पूरी कर ली जाए।
11.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।	तत्कालीन भ्रमणशील, पशु चि0 पदा0, उरूगुटु रांची की सेवा बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव।	सेवा बर्खास्तगी संबंधी सरकार के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

12.	सहकारिता विभाग	सेवा निवृत लिपिक, कार्यालय जिला अंकेक्षण पदा0 सहयोग समितियाँ, रांची, के पेंशन से राशि कटौती हेतु प्रस्ताव।	पेंशन से राशि कटौति के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि आदेश निर्गत करने के पूर्व सभी कार्यवाही यथा–नियम तथा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।
13.	वाणिज्य कर विभाग	तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त ,प्रभारी धनबाद अंचल धनबाद सम्प्रति सेवा निवृत के पेंशन से राशि कटौती हेतु प्रस्ताव।	पेंशन से 2,37,753/– रूपये कटौती हेतु विभागीय प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
14.	जल संसाधन विभाग	तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमण्डल, झींकपानी की सेवा बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव।	विभागीय प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
15.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	तत्कालीन चि0 पदा0 सदर अस्पताल, रांची की सेवा बर्खास्ती हेतु प्रस्ताव।	पदाधिकारी के अंतिम रूप से राज्य आवंटन की स्थिति स्पष्ट करते हुए बर्खास्तगी पर विभागीय प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश किया गया।
16.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	आवासीय चि0 पदा0 चक्षु रोग विभाग, महात्मा गांधी कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर के लम्बी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्तगी करने के विभागीय प्रस्ताव पर आयोग की सहमति हेतु प्रस्ताव।	विभागीय कारवाई के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्तगी करने के विभागीय प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सेवा से बर्खास्तगी करने पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
17.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	विभाग के चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी करने हेतु विभागीय प्रस्ताव।	विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप सेवा से 08 चि0 पदा0 की सेवा बर्खास्तगी करने हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
18.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	निलंबित जिला आयुष चि0 पदा0 सह प्रभारी प्राचार्य राजकीय होमियोपैथिक चि0 महा0 एवं अस्पताल गोड्डा।	संबंधित विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
19.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	चि0 पदा0 रिनपास, कांके, रांची को सेवा से बर्खास्तगी हेतु प्रस्ताव।	सेवा से बर्खास्तगी के विभागीय प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अध्याय–11

सूचना अधिकार से संबंधी मामले

वर्ष 2011 में सूचना अधिकार से संबंधित 730 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें लगभग 600 मामलों का निपटारा हुआ। इसके अतिरिक्त शेष मामले प्रक्रियाधीन है।

अद्यतन वर्ष में 490 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनके निपटारे की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जा रही है।

अध्याय–12

मानुनीय अध्यक्ष/सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण

Details of visit of Chairman/Members of the J.P.S.C. to other PSCs/UPSC and visits of degnitaries to the state PSCs etc. may be indicated (However visits of other functionaries including secretary need not be indicated).

1.	27.7.2011	Chairman and Members of JPSC called on Hon'ble Chairman U.P.S.C. and held meeting with him, Controller of Examination and other officers of U.P.S.C.
2.	24.09.2011	Chairman, J.P.S.C. called on Hon'ble Chairman, Bihar Public Service Commission and discussed matters of mutual interest.
3.	04.10.2011	Chairman, J.P.S.C. called on Hon'ble Chairman and other Hon'ble Members of Maharashtra Public Service Commission and discussed matters of mutual interest and saw the working of Online Application/ Recruitment System adopted by M.P.S.C.
4.	09-10.02.2012	Chairman, JPSC participated in the National Conference of Chairpersons of State Public Service Commission of India held at Ajmer on 9-10 February, 2012

अध्याय–13

वित्तीय विवरणियाँ

वर्ष 2011–12 के वित्तीय विवरण

क्र.	मद	वर्त्तमान उपबन्ध
1.	वेतन	1,06,95,000.00
2.	जीवन–यापन भत्ता	52,31,000.00
3.	यात्रा व्यय (देशीय)	4,00,000.00
4.	कार्यालय व्यय	22,00,000.00
5.	दूरभाष	3,00,000.00
6.	विद्युत व्यय	4,00,000.00
7.	अतिथि व्यय	75,000.00
8.	एल0टी0सी	2,00,000.00
9.	विज्ञापन एवं प्रचार	1,05,00,000.00
10.	वर्दी	17,000.00
11.	व्यवसायिक सेवाएँ	1,91,40,000.00
12.	मोटर गाडी, इंधन एवं मरम्मति	8,00,000.00
13.	मुद्रण	75,00,000.00
14.	मशीन एवं उपकरण	15,00,000.00
15.	नई मोटर गाडी एवं क्रय	1,000.00
16.	विधि प्रभार	16,00,000.00
17.	संविदा भत्ता	8,61,000.00
	कुल	**6,14,20,000.00**

अध्याय—14

आयोग संबंधी न्यायिक मामले

झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यायिक मामलों का विवरण:—

वर्ष	प्राप्त रिट याचिकाएँ	सम्पादित रिट याचिकाएँ	प्रक्रिया के अन्तर्गत याचिकाएँ	लंबित रिट याचिकाएँ
2011	95	23	25	47
2012	90	15	30	45

अध्याय–15

आयोग के समक्ष कठिनाईयाँ एवं विकास के आयाम

स्थापना वर्ष 2002 से वर्ष 2012 तक की अवधि में आयोग ने कई उतार–चढाव देखें है। इन सबके बीच आयोग ने अपने कर्त्तव्य पालन में सदैव तत्परता दिखायी है, परन्तु वर्तमान समय आयोग के समक्ष मूलभूत कठिनाईयाँ है, जिसके समाधान की शीघ्र आवश्यकता है, ताकि भविष्य में आयोग अधिक दक्षता एवं कुशलता से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सके।

आयोग के समक्ष सर्वाधिक कठिनाई कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के कार्यबल के कमी की है। कार्यबल की कमी से आयोग के कार्य प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है।

झारखंड लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्तमान स्वीकृत कार्यबल के संदर्भ में पुनः नये सिरे से प्रशासनिक संरचना के सुदृढीकरण के निमित्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लगभग सभी पदों एवं आवश्यकतानुसार नये पदों की सृजन एवं पद संख्या में बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव तैयार कर संलेख प्रारूप के साथ प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदनार्थ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। यह आवश्यक है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक पद स्वीकृत करे ताकि आयोग लंबित अधियाचनाओं का समयबद्ध तरीके से निष्पादन कर सरकार के विभिन्न विभागों को वांछित कार्यबल उपलब्ध करा सके।

आयोग का यह मानना है कि प्रशासनिक सुधारों के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न विभाग एवं आयोग निरन्तर विभिन्न संवर्गों की नियुक्ति एवं प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करते रहे तथा नियुक्ति नीति एवं प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करते रहे। इसी क्रम में आयोग द्वारा सरकार से परामर्श के उपरांत संयुक्त असैनिक सेवाएँ प्रतियोगिता परीक्षा में सुधार हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के पैटर्न एवं सिलेबस पर विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय–16

विविध / उपलब्धियाँ

जुलाई–दिसम्बर 2011 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी प्रक्रिया में प्रभावकारिता लाने हेतु निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिया गया :–

1. परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने के लिए परीक्षा शुल्क अब सीधे चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जा रहा है। परीक्षा संबंधी सभी सूचनाएँ एवं Admit Card आयोग की वेबसाईट से देखे / Download किये जा सकते हैं।
2. ऑन लाईन परीक्षा पद्धति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए निविदा संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा 2012 तक Online Application – Recruitment System कार्यरत हो जाएगा।

परिशिष्ट–I

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के संक्षिप्त जीवन वृत्त

Hon'ble Chairman Shri Shiv Basant:-

Shri Shiv Basant assumed the charge of Chairman of Jharkhand Public Service Commission with effect from 1st July, 2011. Before assuming charge as Chairman of Jharkhand Public Service Commission he served in the Indian Administrative Service for 35 years from 1976 to 2011. He served the State of Jharkhand in several capacities as Secretary, Drinking Water and Sanitation, Principal Secretary, Agriculture, Principal Secretary, Forest & Environment, Chairman, Jharkhand State First Finance Commission, Chairman, Jharkhand State Electricity Board and Chief Secretary to the Government. Sri Basant also served as Deputy Secretary and Joint Secretary in the Ministry of Home affairs, Govt. of India and as Joint Secretary in the Ministry of Health, Department of Indian Systems of Medicine (AYUSH).

Sri Basant graduated in Science and Laws from Punjab University, Chandigarh before joining the Indian Administrative Service. Subsequently he did his M.Sc. in Development Studies from the University of Bath (UK) and also an Advanced Programmed in Public Administration from the Indian Institute of Public Administration, Delhi. Shri Basant is passionate about Institutional Reforms which hold the key to India's transition from a developing country to developed country.

Hon'ble Member, Dr. M.P. Hassan:

Dr. M. Perwaiz Hassan is a Gold Medalist in M.A. Psychology from Ranchi University and he did his Ph.D on the topic of "Attitudinal modernity of Muslim students and their parents." He joined as a Lecturer on the recommendation of Bihar State University Service Commission at B.N. Mandal University, Madhepura, Bihar and has teaching and research experience of nearly two decades and varied experience of successfully holding important teaching and administrative assignments. One scholar has successfully done his Ph. D under him and three are registered. Dr. Hassan is also a social activist.

Hon'ble Member Dr. Jyoti Lal Oraon:

Dr. J.L.Oraon is an academician of 31 years standing. He did his Ph.D in Indo-Tamil problem in Sri Lanka in 1993 from Ranchi University. He has served as Lecturer in St. Colombus College, Hazaribagh. He took over charge as Hon'ble Member of JPSC with effect from 09-09-2010. Earlier he has served as Principal in K.C.B. College, Bero, Principal, Simdega College. Principal, Birsa College, Khunti. C.C.D.C. in Ranchi University, Ranchi and Pro-V.C. and V.C. in Vinoba Bahve University, Hazaribag.

He has several publications and he is also a social worker.

परिशिष्ट–II

आयोग सचिवालय में कार्यरत कर्मियों की अद्यतन स्थिति

क्र0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदो की सं0	रिक्त पदों की सं0	अभ्युक्ति
1.	माननीय अध्यक्ष	01	01	00	श्री शिव बसंत, भा०प्र०से०, सेवा निवृत
2.	माननीय सदस्य	08	02	06	1. डॉ० एम० परवेज हसन 2. डॉ० जे० एल० उरांव
3.	सचिव	01	01	00	श्री रतिकान्त झा
4.	उप–सचिव	01	01	00	श्री बाल मुकुन्द झा
5.	परीक्षा नियंत्रक	01	01	00	श्री सुमन्त कुमार सिन्हा
6.	उप–परीक्षा नियंत्रक (अवर सचिव)	01	01	00	1. श्री चन्द्रभुषण प्रसाद
7.	अवर सचिव	02	02	00	1. श्रीमती संध्या गुप्ता 2. श्री अशोक कुमार मिश्रा (विधि पदाधिकारी अवर सचिव के एक रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत है) 3. श्री सुनील कुमार सिन्हा, अवर सचिव (प्रतिनियुक्त) 4. श्री संजीत समरेन्द्र लकडा, अवर सचिव (प्रतिनियुक्त)
8.	प्रशाखा पदाधिकारी	05	05	00	1. श्री सजय कुमार दुबे
7.	बजट –सह– लेखा पदाधिकारी	01	01	00	श्री राजीव रंजन प्रसाद (महालेखाकार कार्यालय के सेवानिवृत कर्मी संविदा पर कार्यरत है)
8.	अध्यक्ष के आप्त सचिव	01	01	00	श्री शिवपूजन लाल (सेवा निवृत सचिव के सचिव संविदा पर कार्यरत)
9.	सहायक	10	10	00	1. श्री महेश्वर पासवान (प्रशाखा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध कार्यरत) 2. श्री रामेश्वर लेयांगी (प्रशाखा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध कार्यरत) 3. श्री ओम प्रकाश तिवारी (प्रशाखा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध कार्यरत) 4. श्री आशुतोष कुमार राय 5. श्री देवानन्द जी चौधरी 6. श्री नागेन्द्र तिवारी 7. श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय 8. सुश्री नीलम कुमारी 9. श्री राम जी तिग्गा 10. श्री मुकेश रजक 11. श्री भुपेन्द्र कुमार अनुराग 12. सुश्री राधा रानी हांसदा 13. श्री पंकज कुमार

10.	वरीय निजी सहायक (आप्त सचिव)	08	00	08	सभी पद रिक्त है।
11.	निजी सहायक	16	06	10	1. श्रीमती अंजु कुमारी प्रियदर्शनी 2. श्री रणवीर प्रसाद (टी.पी.ओ. निजी सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध कार्यरत है) 3. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (जे.एस.ई.बी. के सेवा निवृत कर्मी, निजी सहायक के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत है) 4. श्री शशि भुषण सामंत (संविदा) 5.. श्री राजीव रंजन (संविदा) 6. श्री ब्रज कुमार राम (संविदा)
12.	टंकक	11	02	09	1. श्री शंकर प्रसाद (संविदा) 2. श्रीमती सरिता सुषमा मिंज (संविदा)
13.	दिनचर्या लिपिक	12	01	11	श्री मो० मुख्तार अंसारी (वीवर्स कॉपरेटिव सोसाईटी से प्रत्यूशित) (Absorb)
14.	चालक	02	02	00	1. श्री श्याम मुण्डा (संविदा) 2. श्री मन्नु लाल मण्डल (संविदा)
15	ट्रेजरी सरकार	02	01	01	श्री सुरेश कुमार नायक (संविदा)
16.	लेखापाल	01	01	00	. श्री सतीश कुमार सिन्हा (सेवा निवृत प्रशाखा पदाधिकारी, लेखापाल के रिक्त पदके विरूद्ध संविदा पर कार्यरत है)
17.	रोकडपाल	01	01	00	श्री संतोष कुमार भगत (समाहरणालय से प्रतिनियुक्ति)
18	अभिलेखपाल–सह– दफ्तरी	01	01	00	श्री सुखविलास उराँव (संविदा)
19.	चौकीदार–सह–रात्रि प्रहरी	02+01 = 03	02	01	1. श्री प्रभु महतो (संविदा) 2. श्री धर्मनाथ सिंह (संविदा)
20.	आदेशपाल+अनुसेवक	08+11 = 19	12	07	1. श्री मुन्ना राम (संविदा) 2. श्री मनोज कुमार (संविदा) 3. श्री अजीत कुमार प्रजापति (संविदा) 4. श्री विजय कुमार (संविदा) 5. श्री नटवर राय (संविदा) 6. श्री लक्ष्मण विन्द (संविदा) 7. श्री अरविन्द कुशवाहा (संविदा) 8. श्री सलीम मोहम्मद जहांगीर (संविदा) 9.श्री अमित कुमार (संविदा) 10. श्री महाबीर साहु (संविदा) 11. श्री राजु एक्का (संविदा) 12. श्रीमती बसंती देवी (संविदा)
21.	संख्यिकी सहायक –सह– एनालिस्ट प्रोग्रामर	01	01	00	श्री त्रिभुवन कुमार श्रीवास्तव (संविदा)
22.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	06	00	06	सभी पद रिक्त है
23.	कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री सहायक ग्रेड–1	34	04	30	1. श्री रबिन्द्र राम (कार्य संविदा) 2. श्री प्रेम कुमार रवि (कार्य संविदा) 3. श्री राम दुलार नायक (कार्य संविदा) 4. श्री मनोज कुमार (कार्य संविदा) (तीनो कर्मी बाह्य स्त्रोत से कार्य संविदा पर कार्यरत है)
24	माली	03	01	02	श्री धनजी माली (दैनिक पारिश्रमिक)
	कुल	**152**	**61**	**91**	

झा०रा०मु०राँची (झा०लो०से०आ०) 1--300--30-10-2012 ।